(To be published in part IV of Delhi Gazette Extraordinery) Government of National Capital Territory of Delhi, (Department of Law, Justice and Legislative Affairs), 8th Level, 'C'Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-2 9-2002 No. F. 14(15)/LA-2001-02//33 The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lieutenant Governor, Delhi on 23.7.2002 and is hereby published for general information :-The Delhi Sales Tax on Right to use goods Act, 2002 (Delhi Act No.13 of 2002). (As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 15th April, 2002). An Act TO LEVY AND COLLECT TAX ON THE TRANSFER OF THE RIGHT TO USE ANY GOODS FOR ANY PURPOSE (WHETHER OR NOT FOR A SPECIFIED PERIOD) FOR CASH, DEFERRED PAYMENT OR OTHER VALUABLE CONSIDERATION IN THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI BE IT ENACTED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI IN THE FIFTY-THIRD YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA AS FOLLOWS: -CHAPTER I PRELIMINARY Short title, extent and commencement 1 This Act may be called the Delhi Sales Tax on (1) Right to Use Goods Act, 2002. It extends to the whole of the National Capital (2)Territory of Delhi. It shall come into force on such date as the (3) Government may, by notification in the official Gazette, appoint. Definitions. 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires: -"appointed day" means the date on which (a) this Act comes into force; (b) "Commissioner" means the Commissioner of Sales Tax appointed under sub section (1) of section 9 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975); "dealer" means any person who whether for (c) commission, remuneration or otherwise transfers the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration; and includes the Government or the Central Government which so transfers the right to use such

goods, any society, club or association of persons which so transfers the right to use such goods to its members; a manager, factor, broker, commission agent, delcredere agent or any other mercantile agent, by whatever name called, and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who so transfers the right to use any goods belonging to any principal whether disclosed or not;

- (d) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;
- (e) "Delhi Sales Tax Act" means the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975);
- (f) "goods" includes all materials, articles, commodities and all other kinds of movable property, but does not include newspapers, actionable claims, stocks, shares, securities or money;
- (g) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi referred to in Article 239AA of the Constitution;
- (h) "Lieutenant Governor" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239AA of the Constitution;
- (i) "person" includes any company or an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, and also a Hindu undivided family, a firm, a local authority, a corporate body or an authority owned or set up by, or subject to administrative control of, the Government of India, or the Government of any State or Union territory and a cooperative society, whether registered or not;
- (j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;



- (k) "possession" includes legal or physical possession whether as owner or transferee or agent on behalf of a transferor or principal, as the case may be, whether disclosed or not;
- (l) "registered dealer" means a dealer registered under section 7 of this Act;
- (m) "rule" means a rule made under this Act;
- (ii) "sale" with its grammatical variation and cognate expressions means any transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or any other valuable consideration, and the word "sell" shall be construed accordingly;
- (o) "sale price" means the amount of valuable consideration received or receivable for the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period);
- (p) "tax" means the tax payable under this Act;
- (q) "transferee" means the person to whom the right to use goods is transferred;
- (r) "transferor" means the person who transfers the right to use goods;
- (s) "turnover of sales" means the aggregate of the amounts of sale price received or receivable during a year by a dealer in respect of the transfer of the right to use any goods;
- (t) "year" means the financial year.
- (2) All words and expressions used, but not defined in this Act but defined in the Delhi Sales Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in that Act.

CHAPTER II

INCIDENCE AND LEVY OF TAX

Incidence of tax.

- Subject to the provisions contained in this Act and the rules made thereunder, a tax shall be leviable on the turnover of sales in respect of: -
 - (a) the transfer of the right to use any goods agreed to before the appointed day but the right to use the goods is exercised on or after the appointed day
 - (b) the transfer of the right to use any goods agreed to prior to the appointed day, and wherein the right to use has been continued after the appointed day, to the extent of the sale price received or receivable in respect of such use on or after the appointed day; and
 - (c) the transfer of the right to use any goods agreed to on or after the appointed day.

Levy of tax.

4. There shall be levied a tax on the turnover of sales under this Act at the rate of four paise in the rupee:

Provided that no such tax shall be levied if the turnover of sales of a dealer is less than four lakh rupees during the year:

Provided further that no tax shall be levied under this Act on the turnover of sales made in the course of export of the goods out of the territory of India or in the course of import of the goods into the territory of India or in the course of interstate trade or commerce or outside the State/Union territory:

Provided also that: where in respect of any goods or class of goods the Government is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the official gazette, direct that the tax in respect of such goods or class of goods shall, subject to such conditions as may be specified, be levied at such modified rate not exceeding the rate applicable under this section, as may be specified in the notification:

Provided also that where in respect of any goods or class of goods the Government is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the official gazette, direct that no tax shall be payable under this Act in respect of such goods or class of

goods, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification.

Liability of dealer.

- 5. (1) Every dealer whose turnover of sales made during:-
 - (a) the year ending on the 31st day of March, 2002
 - (b) the year commencing on the 1st day of April, 2002

has exceeded or exceeds the limit of four lakh rupees shall, until such liability ceases under subsection (3), be liable to pay tax under this Act on the turnover of sales made by him on or after the appointed day:

Provided that a dealer to whom clause (b) above, applies and whose turnover of sales exceeds the limit of four lakh rupees after the appointed day shall not be liable to pay tax in respect of sales which take place upto the time when his turnover of sales as computed from the 1st day of April, 2002 first exceeds such limit.



(2)

Every dealer whose turnover of sales during any year commencing on the 1st day of April, being a year subsequent to the years mentioned in subsection (1) first exceeds the limit of four lakh rupees shall, until such liability ceases under sub-section (3), be liable to pay tax under this Act with effect from the said date:

Provided that a dealer shall not be liable to pay any tax in respect of such of the turnover of sales as takes place during the period commencing on the 1st day of April of the said year upto the time when his turnover of sales as computed from the 1st day of April of the said year first exceeds the limit of four lakh rupees.

(3) Every dealer who becomes liable to pay tax under this Act and every dealer who has been registered under section 7 shall continue to be so liable until the expiry of three consecutive years during each of which his turnover has failed to exceed the limit of four lakh rupees and such further period as may be prescribed or until his registration certificate is duly cancelled, as the case may be, and upon expiry of such period or upon such cancellation of his certificate of registration, as the case may be his liability to pay tax on other than the tax already

levied or leviable shall cease until his turnover of sales again exceeds the limit of four lakh rupees:

Provided that where the dealer becomes liable to pay tax again in the same year in which he ceased to be liable as aforesaid, then in respect of sales which take place during the period commencing on the date of cessation of liability to tax and ending on the day on which his turnover of sales first exceeds such limit, no tax shall be payable.

Tax payable by dealer.

6. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, there shall be paid by every dealer who is liable to pay tax under this Act, the tax leviable in accordance with section 4 on the turnover of sales in respect of the transfer of the right to use any goods effected by him.

CHAPTER III

REGISTRATION, RETURNS, PAYMENT OF TAX AND ACCOUNTS

Certificate of registration.



7.

- (1) No dealer who has become liable to pay tax under this Act shall sell any goods unless he possesses a valid certificate of registration as provided under this Act.
- (2) Every dealer required to be registered under subsection (1) shall apply to the Commissioner for the grant of registration within such time, in such manner and in such form, as may be prescribed.
- (3) If the Commissioner, after such inquiry as he deems fit, is satisfied that the application for registration is in order, he shall register the applicant and grant him a certificate of registration within such time, in such manner and form, as may be prescribed:

Provided that if the Commissioner is of the opinion that the application is not in order or the particulars furnished therein have not been given correctly, he may, for reasons to be recorded in writing, by an order passed within the prescribed period, reject the application.

(4) The Commissioner may, after considering the information furnished or otherwise called for or received under any of the provisions of this Act,

amend from time to time the certificate of registration in the manner and within such time as may be prescribed.

- (5) If any person upon an application made by him in this behalf has been registered as a dealer under this section, and therafter it is found that he ought not to have been so registered under the provisions of this section, he shall be liable to pay tax on his turnover of sales made from the date on which his registration certificate took effect until it is cancelled notwithstanding that he may not be liable to pay tax under section 5.
- Where a registered dealer discontinues sales, or the turnover of sales of a registered dealer during any year does not exceed the limit of four lakh rupees and the dealer applies for cancellation of his registration certificate in the prescribed manner, the Commissioner shall cancel the registration certificate with effect from such date as he may fix in accordance with the rules.



Where the Commissioner is satisfied that any registered dealer has discontinued sale and has failed to apply under sub-section (6) for the cancellation of his registration certificate, the Commissioner may, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, cancel the registration with effect from such date as he may fix to be the date from which the registered dealer has discontinued sale:

Provided that the cancellation of certificate of registration on an application of the dealer or otherwise shall not affect the liability of the dealer to pay tax (including any interest or penalty) due from him for any period upto the date of cancellation whether such tax (including any interest and penalty) is assessed before or after the date of the cancellation.

(8) The provisions of section 18 of the Delhi Sales Tax Act and the rules framed thereunder shall apply mutatis mutandis for prescribing of security or, as the case may be, the additional security for registration under this Act.

- (1) Every dealer registered under this Act and every other dealer who may be required so to do by the Commissioner by notice served in the prescribed manner, shall furnish such returns of his turnover of sales by such dates and to such authority and make payment of tax due and interest accrued on delayed payments in the manner and in the form as may be prescribed.
- (2) Every registered dealer and every dealer required to furnish returns under sub-section (1) shall pay into the Government Treasury or the Reserve Bank of India or in such other manner as may be prescribed, the full amount of tax due from him under this Act according to such return and shall where such payment is made into a Government Treasury or the Reserve Bank of India furnish along with the returns a receipt from such Treasury or bank showing the payment of such amount.
- The interest, in addition to the tax due, shall be payable at two per cent per month if the dealer fails to pay the tax due or payable along with his returns under sub-section (1) and also in case where the dealer defaults or is deemed to be in default in making the payment of tax assessed or re-assessed under this Act from the date of such default. Interest at the same rate shall also be payable for the period during which the realisation of any amount of tax remains stayed by the order of any court or authority and such order is subsequently vacated:

Provided that the Commissioner may allow payment of arrears of tax in installments as prescribed.

- (4) The interest payable under this section shall be deemed to be tax due under this Act.
- (1) Where all the returns due for the year have been furnished and tax due according to such returns paid within the prescribed period, the Commissioner shall make a summary assessment without requiring the presence of the dealer within a period of one year from the end of the financial year to which the returns pertain and in making such a summary assessment the Commissioner shall have the

authority to make arithmetical adjustments as well as interest that might be due for belated payment of the tax.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), whether or not a return has been furnished and the tax due according to such return paid within the period prescribed, the Commissioner, if he is not satisfied with the return filed or considers it necessary or expedient to ensure that the dealer has not understated his turnover of sales, shall serve the dealer a notice requiring him, on a date to be specified therein to attend his office and to produce or cause to be produced there any evidence on which the dealer may rely in support of the return and to satisfy the Commissioner in regard thereto:

Provided that no notice under this sub-section shall be served on the dealer after the expiry of two years from the end of the financial year to which the returns pertain.



- (3) On the date specified in the notice, or as soon as may be thereafter, the Commissioner shall, after considering all the evidence which may be produced, assess the amount of tax due from the dealer.
- (4) If a dealer fails to comply with the terms of any notice issued under sub-section (2), the commissioner shall assess to the best of his judgment the amount of tax due from him.
- (5) If upon information which has come into his possession, the Commissioner is satisfied that any dealer who has been liable to pay tax under this Act in respect of any period, has failed to get himself registered under section 7, the Commissioner shall proceed in such manner as may be prescribed to assess to the best of his judgment the amount of tax due from the dealer in respect of such period and all subsequent periods and in making such assessment shall give the dealer a reasonable opportunity of being heard, and the Commissioner may, if he is satisfied that the default was made without reasonable cause, direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount of the tax so assessed, a sum not exceeding twice that amount.

(6) No assessment under the provision of sub-section (5) shall be made after the expiry of six years from the end of the year in respect of which or part of which the tax is assessed.

Reassessment.

- where after a dealer has been assessed under section (9) for any year or part thereof, the Commissioner has reason to believe that the whole or any part of turnover of a dealer in respect of any period has escaped assessment to tax or has been under assessed or has been assessed at a lower rate than the rate at which it is assessable, the Commissioner may-
 - (a) within six years from the date of final order of assessment, in a case where the dealer has concealed, omitted or failed to disclose fully the particulars of such turnover; and
 - (b) within four years from the date of final order of assessment, in any other case;



Serve a notice on the dealer and after giving the dealer an opportunity of being heard and making such inquiry as he considers necessary, proceed to determine to the best of his judgment, the amount of tax due from the dealer in respect of such turnover, and the provision of this Act shall, so far as may be, apply accordingly.

- (2) No order of assessment, reassessment or recomputation shall be made under sub-section (1) after-
 - (a) the expiry of six years or, as the case may be, four years from the date of final order of assessment as specified in sub-section (1); or
 - (b) the expiry of one year from the date of service of notice under subsection (1), whichever is later.
- 11. Every dealer liable to pay tax under this Act shall keep at his place of business, a true account of purchase and sales in the manner and form as may be prescribed.

Accounts.

CHAPTER IV

TAX DUDUCTION AT SOURCE, TAX CLEARANCE CERTIFICATE AND INFORMATION TO BE FURNISHED

12. (1)

Deduction of tax at source.

Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, every person, other than an individual and Hindu undivided family, responsible for making any payment for discharge of any liability for the transfer of the right to use any goods shall, at the time of credit to the account or at the time of payment of such amount in cash, or by cheque, or by adjustment or in any other manner whatsoever, whichever is earlier, deduct an amount equal to two percent from such sums.

Provided that no deduction shall be made where the consideration for right to use goods does not exceed four lakh rupees in a year.

 $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}_{(3)}$

Any tax deducted under sub-section (1) shall be paid to the account of the Government in such manner and within such time as may be prescribed.

The person making the deduction of tax under subsection (1) and paying it to the account of the Government shall issue a certificate of tax deduction to the dealer within a period of fifteen days of such deduction in such manner and in such form as may be prescribed.

- (4) Any tax deducted under sub-section (1) and paid to the account of the Government shall, on production of the certificate of deduction under sub-section (3) by the transferee be deemed to be the tax paid by the dealer for the relevant period and shall be given credit in his assessment accordingly.
- (5) If any person fails to make a deduction or after making a deduction fails to deposit to the account of the Government the amount so deducted, the Commissioner may, after giving to such person an opportunity of being heard, by order in writing, direct that such person shall pay; by way of penalty, a sum not exceeding twice the amount deductible or deducted under this section besides the tax deductible but not so deducted and, if deducted, not so deposited into the Government Treasury.

- (6) Without prejudice to the provisions of sub-section (5), if any person fails to make deduction or after making the deduction, fails to deposit the amount so deducted, shall be liable to pay simple interest at the rate of two percent per month on the amount deductible under this section but not so deducted and, if deducted, not so deposited from the date on which such amount was deductible to the date on which such amount is actually deposited.
- (7)Where an amount has not been deposited after deduction, such amount together with interest and penalty shall be a charge upon all the assets of the person concerned and recoverable as arrears of land revenue.

Tax clearance certificate.

13. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person where the consideration for right to use goods exceeds four lakh rupees in a year, shall enter into a transaction with any other person for transfer of right to use goods after the appointed day and if entered earlier, shall not continue such transaction and shall not make payment to the dealer in respect of transfer of right to use goods, unless the Commissioner certifies in the prescribed manner that such dealer -



- (a) has no liability to pay tax, interest, penalty or any amount due or has not defaulted in furnishing any return or returns together with the receipted challan or challans showing payment of all tax payable under this Act;
- (b) has not defaulted in making payment of tax otherwise payable by or due from him under this Act:
- (c) has made satisfactory provision of securing the payment of tax by furnishing bank guarantee in favour of the Commissioner or otherwise, as the case may be;
- (d) has made an undertaking for getting himself registered as dealer observing complying with the provisions of this Act, if the dealer has started the business of transfer of right to use goods for the first time in Delhi.

Where on application made by a dealer in the prescribed form, if the Commissioner, after making such inquiry as he deems fit and proper, is satisfied and issues a certificate in the prescribed form to the effect that such dealer is not liable to pay tax under section 3 or that he has paid tax payable by, or due from him under that section, or has undertaken to register himself and to comply with the provisions of this Act and the rule framed thereunder, a sale agreement may be entered and payment may, notwithstanding anything contained in such-section (1), be made to such dealer for transfer of right to use goods referred to in section 3 on production by him of such certificate of the Commissioner.



Information to be furnished for transfer of right to use goods by the transferee.


14. Any person entering into any contract for transfer of right to use goods shall furnish, within fifteen days from the signing of the contract, such information as may be prescribed, to the Commissioner and failure to do so shall entail a penalty not exceeding five hundred rupees per day of default after affording such person a reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER V

POWER OF ENTRY, INSPECTION, SEARCH, SEIZURE, SEALING AND ANTI-EVASION PROVISIONS

Power of entry, Inspection, search and seizure of accounts and goods.

- 15. (1) The Commissioner may, subject to such conditions as may be prescribed, require any dealer or any other person--
 - (a) to produce before him such books of accounts, Registers or documents,



to furnish such information relating to the stock of goods, or purchases, sales or deliveries of goods by the dealer, or any other information relating to his business, as may be deemed necessary, for the purposes of this Act.

- (2) Where the Commissioner, upon information in his possession or otherwise, has reasonable grounds to believe that--
 - (a) any person to whom a notice under this Act was issued to produce or cause to be produced, any books of accounts or other documents has omitted or failed to produce or caused to be produced such books of accounts, or other documents, as required by such notice, or
 - (b) any person to whom a notice as aforesaid has been or might be issued, will not, or would not produce or cause to be produced any books of accounts or other documents which will be useful for, or relevant to, any proceedings under this Act, or
 - (c) books of accounts, registers or documents of any dealer may be destroyed, or mutilated, altered, falsified or secreted or any purchase or sales by that dealer have been or may be suppressed or any goods have not been or may not be accounted for in the books of accounts, registers or other documents maintained by the dealer, with a view to

evade or attempt to evade payment of tax due under this Act.

the Commissioner shall have power-


- (i) to inspect or survey the place business of a dealer or any other person or any other place where it is believed by him that business is being done or accounts are being kept by such dealer or person;
 - (ii) to inspect the goods in the possession of the dealer or in the possession of any other person on behalf of such dealer, wherever such goods are kept;
- to enter and search any building or place where he has reason to suspect that such books of accounts or other documents or goods are kept by a dealer or by any other person on behalf of such dealer;
 - (iv) to break open the locks of any door of any premises or to break open any almirah, safe, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or documents of the dealer are suspected to be kept, if access to such premises, almirah, safe, box or receptacle is denied;
 - (v) seal the premises including the office, shop, godown, box, locker, safe, almirah or other receptacle if the owner or the person in occupation or in charge of such office, shop, godown, box, locker, safe, almirah, or other receptacle leaves the place or is not available or fails or refuses to open it when called upon to do so, or cause or attempts to cause obstruction to the Commissioner in the discharge of his duties under this section;
 - (vi) to record the statement of the dealer or his Manager, agent or servant or to take extract from any record and to put identification marks on accounts, registers or documents and on any door, almirah, safe, box or receptacle.

Explanation. - There shall be a presumption in respect of goods, accounts, registers or

documents, which are found at any place of business of a dealer during any inspection or search that they relate to his business unless the contrary is proved by him.

- (3) The power under clauses (iii) and (iv) of sub-section (2) shall be exercised by an officer not below the rank of an Assistant Sales Tax Officer.
- (4) Where any accounts, registers, or documents are produced before the Commissioner in any proceedings under this Act, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, Impound and retain them in his custody for a period not exceeding six months, and shall give the dealer or any other person who has produced such accounts, registers or documents a receipt of the same.
- Where at the time of inspection, the Commissioner has reason to suspect that the dealer is attempting to evade or avoid tax or is concealing his tax liability in any manner, he may, for reasons to be recorded in writing, seize such accounts, registers or documents of the dealer, as may be considered necessary and shall give the dealer, or any other person from whose custody such accounts, registers or documents are seized, a receipt for the same, and may retain the same in custody for examination, enquiry, prosecution or other legal action for a period not exceeding six months.
 - (6) The accounts, registers or documents impounded under sub-section (4) or seized under sub-section (5) may be retained even beyond a period of six months from the date of impounding or seizure, as the case may be, by the commissioner for such further period as may be specified from time to time.
 - (7) The Commissioner may seize any goods liable to tax, which are found in the possession of a dealer or in the possession of any other person on behalf of such dealer or with any transferee and which are not accounted for in his accounts, registers or documents maintained in the course of his business; and a list of goods so seized shall be prepared by the Commissioner and a copy thereof shall be given to the dealer or any other person from whose custody such goods are seized.


- Where it is not feasible to seize the accounts, registers or documents under sub-section (5) or the goods under sub-section (7), the Commissioner may serve on the owner or the person who is in immediate possession or control thereof, an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with them except with the previous permission of the Commissioner.
- (9) The Commissioner may, after having held such further enquiry as he may consider fit, and after having given the dealer an opportunity of being heard, impose on him, for the possession of goods not accounted for, whether seized or not under subsection (7), by way of penalty a sum not exceeding three and a half times of the tax leviable on such goods and the commissioner may release the goods, if seized, on payment of the penalty imposed or on furnishing such security for the payment thereof as he may consider necessary.
- (10) The Commissioner may require any person-



- who transports or holds in custody any goods of a dealer, to give any information in his possession in respect of such goods or to allow inspection thereof, as the case may be; and.
- (b) who maintains or has his possession any accounts, registers or documents relating to the business of a dealer, to produce such accounts, registers or documents for inspection.
- (11) If any person commits default under clause (b) of sub-section (10), the commissioner may, without prejudice to any other action which may be taken against such persons under any other provision of this Act, direct, after giving an opportunity of being heard to such person that such person shall pay by way of penalty a sum not exceeding fifty thousand rupees.
- (12) If the commissioner is satisfied that any person on being required by him so to do, has failed to furnish the information in respect of the goods in his custody for delivery to or on behalf of any dealer or to permit inspection thereof under clause (a) of sub-

section (10), the Commissioner may, by order in writing and after giving opportunity of being heard to such persons, impose by way of penalty, a sum not exceeding three and a half times the amount of tax leviable under this Act on goods in respect of which the default was committed.

- (13) If any person, who transports or holds in custody for delivery to, or on behalf of, any dealer any goods, on being required by the commissioner or under clause (a) of sub-section (10) so to do, fails to give the information likely to be in his possession in respect of such goods or fails to permit inspection thereof, as the case may be, the Commissioner may pass an order of detention or seizure of goods in his custody or possession in respect of which the default is committed.
- (14) The order of detention or seizure passed under subsection (13) shall remain in force so long as the person concerned does not furnish information required under clause (a) of sub-section (10) or make proper arrangement for inspection of the goods under the said sub-section.



(16) Where any premises including the office, shop, godown, box, locker, safe, almirah or other receptacle have been sealed under Sec-section (2), the Commissioner, on an application made by the owner or the person in occupation or in charge of such shop, godown, box, locker, safe, almirah or other receptacle, may order desealing thereof on such terms and conditions including furnishing of


this Act and the provisions of this Act shall apply

accordingly.

security for such sum in such form and manners as may be prescribed.

Where an order of detention of seizure of goods is made under this section and no claim is lodged by any person with respect to such goods within a period of three months from the date of such order, the Commissioner may, by order in writing, direct the auction of such goods:

Provided that if the goods, in respect of which an order of detention or seizure is made, are of a perishable nature or subject to speedy and natural decay or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the same maybe ordered to be auctioned by the Commissioner as soon as it is practicable, after an order of detention or seizure of such goods is made and the amount so realised by the auction of goods shall be remitted in the Government Treasury immediately.



Where an order imposing penalty is passed under sub-section (9) or under sub-section (12) and the person liable fails to pay the penalty within the prescribed period, the goods detained or seized may be sold by public auction and the sale proceeds deposited in Government Treasury.

- (19) Auction of goods to be made under sub-section (17) or sub-section (18) shall be carried in the manner prescribed for disposal of goods under sub-section (6) of section 64 of the Delhi Sales Tax Act.
- (20) Any person entitled to the sale proceeds of goods auctioned under the provisions of this section shall, on application made to the Commissioner and upon sufficient proof, be paid the sale proceeds of the goods auctioned, after deducting the expenses of the sale, other incidental charges, the amount of tax and the penalty leviable under this Act.
- (21) No action shall lie for damages or for any other claim by any person against the Commissioner or any other officer authorised in this behalf for anything done in good faith in discharge of their duties under this section.

(22) Save as otherwise provided in this section, every search and seizure made under this section shall, as far as may be, carried on in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to searches or seizures made under that Code.

Power to exempt.

16.

The Government shall be empowered to exempt tax on right to use any goods by notification in the official Gazette.

Furnishing of information by owners of cold stores, warehouses, godowns, etc.

17. (1)



Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, every owner or any other person having control of a cold store, warehouse, godown or any such place, who stores goods for hire or reward shall maintain or cause to be maintained a correct and complete account indicating the full particulars of the person whose goods are stored and the quantity, value, date of receipt and delivery of such goods.

- (2) such accounts shall, on demand, be produced before the Commissioner or any officer authorized by him in this behalf who may take or cause to be taken such extracts there from or require such extracts to be furnished as he may consider necessary.
- (3) If any owner or any other person having control of a cold store, warehouse, godown or any other such place, who stores goods for hire or reward, contravenes any of the provisions of sub-section (1) or sub section (2) in a manner likely to lead to evasion of any tax payable under this Act, the Commissioner may, without prejudice to any other action which may be taken against such owner or the person having control of a cold store, warehouse, godown or any other such place under any other provision of this Act, direct, after giving an opportunity of being heard, that such owner or the person having control of a cold store, warehouse, godown or any other such place shall pay by way of penalty a sum not exceeding three and a half times the tax, leviable on the goods in respect of which default is committed under subsection (1) or sub-section (2).

CHAPTER VI

OFFENCES AND PENALTIES

Offences.

- 18. (1) Where any person -
 - (a) liable to be registered under this Act fails to register himself,
 - (b) liable to file the return, fails to file return or pay the tax due according to such return within the time stipulated together with interest accrued thereon, if any, knowingly prepares or produces false accounts, registers or documents, or furnishes false returns in relation to his business, or makes a false disclosure or averment in any statement required to be recorded or in any declaration required to be filed under this Act or the rules framed thereunder;




- (c) intentionally avoids or evades or conceals tax or deliberately conceals his turnover or tax liability in any manner;
- (d) deliberately disregards a notice of demand or fails to pay the amount in terms of any notice of demand and a period of six months has lapsed since the receipt of the notice of demand by him;
- (e) prevents or obstructs in any manner the Commissioner or any officer authorized by him in this behalf under this Act, to enter, inspect and search the place of business or any other place where the goods or the accounts, registers and documents are believed to be kept, or prevents or obstructs the Commissioner or such officer to seize the goods or the accounts, registers and documents;
- (f) fails to make deduction of tax at source or, after deducting fails to deposit amount so deducted as required under section 12 of this Act;

- (g) enters into a transaction with any other person without obtaining from him a tax clearance certificate under section 13 of this Act;
- (h) fails to maintain accounts in the manner as required under section 11 of this Act;
- (i) aids or abets any person in the commission of any such offence as aforesaid;

He shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees, or with both.

Explanation. - An offence under clause (d) of this subsection shall be deemed to be a continuing offence until full payment is made.



Where an offence under this section is committed with regard to a business, every person, who was responsible for the conduct of the business at the time when the offence was committed or who was answerable for a legal lapse in any manner by his action or omission, shall be liable to be proceeded against and punished under this section.

- (3) Without prejudice to the provisions contained in subsection (2), where an offence under this section is committed by a firm or a company and it is found that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any partner of the firm or Chairman, Managing Director or Director of the company, such partner, Chairman, Managing Director or Director shall be personally liable to be proceeded against and punished under this section.
- (4) Any proceeding under this Act including the proceeding of assessment, reassessment, rectification or recovery other than the proceeding for imposition of penalty, shall be carried on without prejudice to any prosecution under this section.
- (5) If a dealer fails without reasonable cause to comply with any of the provisions of this Act or the rules framed thereunder, shall, if no other penalty is provided under this Act for such contravention or failure, be liable to imposition of penalty, not less than five thousand rupees and not exceeding fifteen per cent of the value of goods and where such contravention or failure is continuing one, to a

further penalty not exceeding five hundred rupees for each day of default during the period of the continuance of the contravention or failure:

Provided that no such penalty shall be imposed without affording the dealer an opportunity of being heard.

- (6) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences defined in sub-section (1) shall be cognizable and bailable.
- (7) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules framed thereunder, except with the previous sanction of the Commissioner, and no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try any such offence.

Investigation of offences.

19.

(1) Subject to such conditions as may be prescribed, the Commissioner may authorise either generally or in respect of a particular case or class of cases, any officer not below the rank of an Assistant Sales Tax Officer to investigate all or any of the offences punishable under this Act.

(2) Every officer so authorised shall, in the conduct of such investigation, exercise all powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) upon an officer-in-charge of a police station for the investigation of a cognizable offence.

CHAPTER VII CERTAIN PROVISIONS OF THE DELHI SALES TAX ACT APPLICABLE

Authorities under the Delhi Sales Tax Act empowered to assess, reassess, etc. tax under this Act. 20.

Subject to the other provisions of this Act and the rules framed thereunder, the authorities for the time being empowered to assess, re-assess, collect and enforce payment of any tax, interest and penalty under the Delhi Sales Tax Act, shall assess, re-assess, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty payable by a dealer under this Act as if the tax or interest or penalty payable by such a dealer under this Act is a tax, interest or penalty payable under the Delhi Sales Tax Act and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the Delhi Sales Tax Act and the rules framed thereunder and the provisions of the Delhi Sales Tax Act and the rules framed thereunder relating to returns,

assessment, notice, rectification, collection, registration, liability of any firm or Hindu undivided family to pay tax in the event of the dissolution of such firm or partition of such family, special mode of recovery of tax, appeals, revision, references, refunds, fines, penalties, charging of payment of interest, and the treatment of documents furnished by a dealer as confidential, reassessment of escaped turnover of sales, recovery of tax, maintenance of accounts, inspection, search and seizure, liability in representative character, references of cases to the High Court of Delhi, compounding of offenses and other miscellaneous matter shall *mutatis mutandis* apply accordingly.



Explanation. - All the provisions of the Delhi sales Tax Act regarding proceedings under the said Act, in so far as the same are not inconsistent with the provisions of this Act shall apply *mutatis mutandis* to the proceedings under this Act.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS AND RULES

Officers and servants appointed under this Act to be public servants.

21. All officers and servants appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Bar of suits in civil courts.

22. No suit shall be brought in any civil court to set aside or modify any assessment made or any order passed under this Act or the rules framed thereunder and no prosecution, suit or other proceeding shall lie against the Government or any officer of the Government for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules framed thereunder.

Delegation of Commissioner's power.

23. Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers, functions and duties under this Act except that under sub-section (7) of section 18 to any officer not below the rank of an Assistant Sales Tax Officer.

Power to make rules.

24. (1) The Government may, by notification in the official Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act:

Provided that if the Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, it may dispense with previous publication of any rules to be made under this section.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for -
 - (a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed;
 - (b) procedure for registration of dealers;



- (c) compelling the submission of returns, production of documents, enforcing the attendance of persons and examining them on oath;
- (d) generally, regulating the procedure to be followed, and the norms to be adopted in proceedings under this Act;
- (e) any other matter including levy of fees for which there is no provision or no sufficient provision in this Act and for which provision is, in the opinion of the Government, necessary for giving effect to the purposes of this Act.
- (3) In making any rules, the Government may direct that for a breach thereof, the Commissioner may, in the prescribed manner, impose a penalty not exceeding twenty five thousand rupees, and when the breach is continuing one, a penalty not exceeding five hundred rupees may be imposed for every day of default during the continuance of such breach.
- (4) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the

rule or the legislative assembly agrees that such rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

Power to remove difficulties.

25. (1)

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:



Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

(R.K.Pazbhakaz).

Deputy Secretary (Law, Jus. & L.A.).

हिदली राज्यव बताधारण भाग- भे प्रकारानार्थ है राष्ट्रीय राजधानी देव दिल्ली सरकार, हैविधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभागहे, 8वा तल, "सी "छाउ, दिल्ली सच्चालय, आई पी • एस्टेट, नई दिल्ली-2

संख्या: पा • 14 15 विधायी कार्य-2002-02/ /334

दिनांव 3 -9 - 2002

उपराज्यपाल , दिल्ली की दिनांक 23 जुलाई. 2002 को मिली अनुमति के पश्चाद् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विद्यान सभा हारा पारित निम्न अधिनियम जनसाधारणा के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली वस्तु प्रयोग अधिकार बिक्री कर अधिनियम, 2002 है दिल्ली अधिनियम संख्या: 13, 2002 हैं

ईराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा झारा दिनांक 15 खेल. 2002 को यथा पारित है∙

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में नकदी विलिम्बत ,भुगतान या मूल्यवान प्रतिपल के लिए किसी प्रयोजन ध्वां विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या किसी न विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो हेतु किन्हीं वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर कर उगाही करने तथा स्थाह करने के लिए

या एक विधानयम

यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के ५३वें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:-

> अध्याय'-। प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं

प्रारम्भ

परिभाषा

- १. (१) इस अधिनियम को दिल्ली वस्तु प्रयोग अधिकार बिक्री कर अधिनियम,२००२ कहा जाए ।
 - (२) यह समूची दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से विस्तारित होता है ।
 - (३) यह सरकारी राजपत्र में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी द्वारा अधिसूचना में यथानियत तिथि से प्रभावी होंगा ।
- २. (१) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इसमें:-
 - (क) 'नियत दिन' से अर्थ जिस तिथि से यह अधिनियम प्रभावी होता है ।
 - (ख) 'आयुक्त' का अर्थ दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ का ४३) की धारा ९ की उपधारा १ के अन्तर्गत नियुक्त बिक्री कर आयुक्त से है ।
 - (ग) : व्यापारी' का अर्थ कोई व्यक्ति जो किसी प्रयोजन (चाहे किसी विनिदृष्ट अवधि के लिए हो या न हो) के लिए वस्तुओं का अन्तरण, आढ़त, परिश्रमिक या अन्यथा नकदी, विलम्बित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अन्तरित करता है, जिसमें सरकार या केन्दीय सरकार शामिल है, जो इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार

जा व्यक्तियों की किसी समिति, क्लब या एसोसिएशन को सौंपता है वह अपने सदस्यों को वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार सौंपता है कोई की प्रयोधक, क्रय विक्रय करने वाला व्यापारी, आढती, डेलीकेंडर एजेंट या किसी अन्य वाणिज्यक एजेंट चाहे उसका कोई भी नाम हो तथा चाहे इससे पहले वर्णित विवरण के समान हो या न हो, जो किसी मूलधन राशि से सम्बंध चाहे हो या न हो, के लिए किन्ही वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार सौंपता है,

- (घ) "दिल्ली का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हैं
- (ड) 'दिल्ली बिकी कर अधिनियम 'का अर्थ दिल्ली बिकी कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ का ४३) से हैं,
- (च) 'वस्तुओं' में सभी प्रकार की सामग्री, वस्तुएं पदार्थ और सभी प्रकार की चल संपति शामिल है, लेकिन इसमें समाचार पत्र, कार्यवाही योग्य दावे स्टाक, शेयर प्रतिभृतियां या धन राशि शामिल नहीं है,
- (छ) 'सरकार का अर्थ संविधान-के अनुच्छेद २३९ में वर्णित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है.
- (ज) 'उपराज्यपाल' का अर्थ संविधान के अनुच्छेद २३९ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से हैं,
- (झ) 'ट्यिक्ति' में कोई कम्पनी, ट्यिक्तियों की कोई एसोसिएशन या ट्यिक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या न हो और इसमें कोई हिन्दू अविभाजित परिवार भी शामिल है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र के स्वामित्व या द्वारा स्थापित या प्रशासनिक नियंत्रण में कोई फर्म, कोई स्थानी प्राधिकरण कोई निगमित निकाय या कोई प्राधिकरण और कोई पंजीकृत सहकारी समिति चाहे पंजीकृत हो या न हो,
- (ण) 'निर्धारण का अर्थ है इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमों द्वारा निर्धारित,
- (ट) 'कब्जा में कनूनी या वास्तविक कब्जा है चाहे स्वामी या संथानांतरी या कोई पटटा कर्ता प्रमुख की ओर से उसका एजेंट के रूप में हो जैसी भी स्थिति हो, चाहे प्रकट हो या न हो,
- (ठ) 'पंजीकृत व्यापारी का अर्थ इस अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत

पंजीकृत किसी व्यापारी से हैं, 🥼

- (ड) 'नियम' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तगर्त तनाए गये नियम,
- (ढ़) 'विक्रय' अपने वाणिजियक अन्तर तथा समान अभिव्यक्तियों सहित अर्थ है किसी प्रयोजन (चाहे किसी विनिंदष्ट अवधि के लिए हो या न हो) के लिए किन्हीं वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार नकदी, विलम्बित भुगतान या किसी अन्य मुल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रकार का अन्तरण और शब्द 'बेचना' अपने सभी व्याकरणीय भेदों का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा,
- (ण) चिक्रय मूल्य, का अर्थ किसी प्रयोजन (चाहे विनिद्धः अवधि के लिए हे या नहीं हैं) के लिए किन्हीं वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार के अन्तकरण के लिए प्राप्त या प्राप्त की जाने वाले मुल्यवान प्रतिफल की राशि से हैं.
- (त) 'कर' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से है,
- (थ) 'हस्तांतरण प्राप्त कर्ता' का अर्थ वह व्यक्ति जिसे वस्तुओं के प्रयोग करने का अधिकार हस्तांतरित किया गया है,
- (द) 'हस्सतांतरणकर्ता' का अर्थ है वह व्यक्ति जो वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार हस्तांतरित करता है,
- (ध) 'कुल विक्रय राशि का अर्थ किन्दी वस्तुओं के प्रयोग के अन्तरण से सम्बद्ध किसी व्यापारी द्वारा किसी वर्ष के दौरान प्राप्त या प्राप्त हो सकने वाली विक्रय मुल्य राशियों के कुल जोड़ से है.
- (न) 'वर्ष' का अर्थ वित्तीय वर्ष से हैं।
- (२) इस अधिनियम में प्रयुक्त सभी शब्द अभिव्यक्तियों, लेकिन इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है लेकिन दिल्ली बिक्री कर अधिनियम में परिभाषित है, का वहीं अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है।

स्थाय-२ कर का प्रभाव क्षत्र तथा लेवी कर का प्रभाव

कर का प्रभाव

- ३:- इस अधिनियम तथा इसके, अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में कुल बिक्री पर कर उगाही योग्य होगा:-
- (क) नियत तिथि से पूर्व किसी वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का अन्तरण लेकिन नियत दिन को पूर्व या बाद वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार प्रयोग किया गया है :
- (ख) नियन दिन सं पूर्व किन्हीं वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण तथा प्रयोग जिसमें प्रयोग का अधिकार नियत दिन के बाद बना रहा है, नियत दिन को या बाद में इस प्रकार के प्रयोग संबंधी प्राप्त या प्राप्त करने योग्य बिकी मुल्य की सीमा: तथा
- (ग) नियत दिन को या बाद में किन्हीं वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण ।

कर की उगाही ४:- इस अधिनियम के अन्तरीत कुल बिक्री पर ४ पैसे प्रति रूपये की दर से कर उगाही की जाएगी :

> उपबंध है कि कोई भी ऐसा कर नहीं लगाया जायेगा यदि किसी व्यापारी की कुल बिकी वर्ष के दौरान चार लाख रू० से कम हो:

आगे उपबंध है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई भी कर भारतीय क्षेत्र से बाहर वस्तुओं के नियति के दौरान बिकी की गई है या भारतीय क्षेत्र के भीतर वस्तुओं के आयात के दौरान या अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बाहर बिकी की गई है:

लपबंध यह भी है कि किन्हीं वस्तुओं या वस्तुओं की श्रेणी से संबंधित सरकार का अभिमत है कि ऐसा करना जनहित में कालोचित है, तो वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं की श्रेणी यथाविनिदृष्ट शर्तों के अनुसार उन संशोधित दरों पर उगाहा जाएंगा, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट इस धारा के अन्तर्गत लागू दर से अधिक दर नहीं होगी ।

उपबंध यह भी है कि सरकार की राय में जनहित हेतु यदि यह आवश्यक है कि किसी वस्तु अथवा वस्तु श्रेणी पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर नहीं लगाया जाए तो वह इस बारे में कुछ शर्तों व बाध्यता के साथ अधिसूचना जारी कर सकती है।

व्यापारी के ५ (१) तस प्रत्येक व्यापारी की जिसकी -दायित्व

- क) ३१ मार्च २००२ को समाप्त वर्ष के
- ख) १ अप्रैल २००२ को प्रांरभ वर्ष से

कुल बिक्री चार लाख रूपये की राशि से अधिक है, वह उपधारा (३) कें अन्तर्गत ऐसा दायित्व समाप्त होने पर वह नियत दिन को या बाद में उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान की प्रति उत्तरदायी होगा:-

उपबंध है कि जिस व्यापारी पर उक्त खंड (ख) लागू होता है और नियत दिन के उपरांत उसकी कुल बिकी चार लाख रूपये की सीमा से अधिक है, तो वह अब तक हुई बिकी संबंधी कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जब पहली अप्रैल, २००२ से गणना की गई उसकी कुल बिकी ऐसी सीमा से अधिक है ।

(२) जिस व्यापारी की पहली अप्रैल से प्रांरभ किसी वर्ष के दौरान कुल बिकी, जपधारा (१) में वर्णित वर्षों के जपरांत किसी वर्ष में पहली बार चार लाखा रूपयें की सीमा पार की है, उपधारा (३) के अन्तर्गत ऐसी देयता के समाप्त होने तक, उक्त तिथि से इस अधिनियम के अन्तर्गत कर का भुगतान करने की प्रति उत्तरदायी होगा,

शर्त यह है कि कोई भी व्यापारी उक्त वर्ष के अप्रैल माह की पहली तिथि से प्रारंभ वर्ष से तब तक की अवधि के दौरान हुई ऐसी कुल बिक्री संबंधी कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जब उक्त वर्ष की पहली अप्रैल से गणना की गई कुल बिक्री पहली बार चार लाख रू० से अधिक हो।

(३) प्रत्येक व्यापारी जो इस आंधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के प्रति उत्तरवायी हो जाता है और प्रत्येक व्यापारी जो धारा ७ के अन्तर्गत पंजीकृत हो चुका है, जिसकी लगातार तीन वर्ष तक प्रति वर्ष कुल बिक्री चार लाख रूपये से अधिक नहीं बढ़ी हुई है तथा यथानिधारित आगामी अवधि या उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र रह होने तक, जैसी भी स्थिति हो, तथा ऐसी अवधि समाप्त होने तक अथवा उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र रह होने पर, जैसी भी स्थिति हो, पहले लगाये गये या लगाने योग्य कर के अलावा कर के भुगतान के प्रति उसकी जिम्मेदारी तब तक समाप्त रहेगी, जबतक उसकी कुल बिक्री दुबारा चार लाख रूपये की सीमा को पार नहीं कर जाती है:

उपबंध है कि जहां व्यापारी उस वर्ष में दुबारा कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी हो जाता है, जिस वर्ष में वह उत्तरदायी होने से बचा है तब बिक्री के बारे में जो कर की देयता की समाप्ति की तिथि से लेकर पहली बार कुल बिक्री की सीमा को पार करने की तिथि तक कोई भी कर देय नहीं होगा । व्यापारी द्वारा देय कर ६:- इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यापारी द्वारा भुगतान किया जाएगा उसके द्वारा अची गई किसी वस्तु के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण होने संबंधी कुल बिक्री पर धारा ४ के अनुसार कर उगाहा जाएगा ।

अध्याय-३

पंजीकरण विवरणी, कर का भुगतान तथा लेखा

- पंजीकरण प्रमाण पत्र ७ (१) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी कोई भी द्यापारी कोई भी वस्तु नहीं बेचेगा जब तक उसके पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है ।
 - (२) उपधारा (१) के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यापारी यथा निर्धारित पद्यति तथा रूप में ऐसे समय के भीतर पंजीकरण लेने के लिए आयुक्त से आवेदन करेगा नै
 - (3) यदि आयुक्त यथोचित जांच कराने के उपरांत संतुष्ट है कि पंजीकरण आवेदन पत्र क्रम में है वह आवेदक को पंजीकृत करेगा तथा उस नियत समय के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र यथानिर्धारित स्वरूप में प्रदान करेगा ।
 - े उपबंध यह है कि यदि आयुक्त का अभिमत है कि आवेदन पत्र ठीक ठाक नहीं है या इसमें वर्णित ब्यौरे सही नहीं दिये गये हैं, तो वह अभिलेखबंध कारणों के आधार पर निर्धारित अविध के भीतर आवेदन पत्र रह करने के आदेश पारित करें।
 - (४) आयुक्त प्रस्तुत जानकारी पर विचार या इस अधिनियम के किन्ही उपग्रंधों के अन्तर्गत अन्यथा मांगी गयी या प्राप्त जानकारी पर विचार करने के उपरांत पंजीकरण प्रमाण पत्र यथानिधिरत पद्यति तथा समय के भीतर समय-समय पर संशोधित किया जाए ।
 - (4) यदि इस संबंध में उसके द्वारा दिए गए किसी आवेदन पत्र कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत एक व्यापारी के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसके उपरांत यह पाया गया कि इस धारा के उपबंधों के अन्तर्गत इस प्रकार पंजीकृत नहीं माना गया है वह अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के प्रभावी होने की तिथि से लेकर इसके रह होने तक अपनी कुल बिक्री के कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी होगा । इसके रहते हुए इस धारा के अन्तर्गत कर के भुगतान के प्रति उत्तरदायी नहीं रह सकता है ।

- (६) यदि किसी पंजीकृत व्यापारी अपनी बिक्री बंद कर देता है या किसी पंजीकृत व्यापारी की कुल बिक्री एक वर्ष के दौरान चार लेखि रूपये से अधिक नहीं बब्ती है और व्यापारी निधारित विधिवत रूप में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र के रदीकरण के लिए आवेदन करने पर उपयुक्त कर निधारण नियमों के अनुसार, आयुक्त नियत लिथि से पंजीकरण प्रमाण पत्र रह करेगा।
- (७) जहां पर आयुक्त संतुष्ट है कि किसी पंजीकृत व्यापारी ने अपनी बिक्री बंद कर दी है लेकिन वह उपधारा (६) के अन्तर्गत अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए विफल रहा है तो आयुक्त सुनवाई का यथोचित एक अवसर देने के उपरांत यथा नियत तिथि से या पंजीकृत व्यापारी के बिक्री बंद होने की तिथि से पंजीकरण रद्द कर सकते हैं,

उपबंध है कि व्यापारी के किसी आवेदन पत्र पंजीकरण प्रमाण पत्र का रहीकरण या अन्यथा जिस तिथि से उसका कर देय है उस तिथि से लेकर रह होने की तिथि तक की अवधि का कर भुगतान (ब्याज या अर्थदंड सहित) के प्रति व्यापारी के दाथित्व पर असर नहीं पड़ेगा चाहे ऐसा कर ब्याज तथा अर्थदंड सहित रहीकरण की तिथि से पूर्व या बाद में निर्धारित किया गया है

- (८) दिल्ली बिक्री कर अधिनियम की धारा १८ द्वारा तथा इसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों को उपबंध प्रतिभूति निर्धारित करने के लिए या अतिरिक्त प्रतिभूति निर्धारित करने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रतिभूति के लिए परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
- कर तथा ब्याज के भुगतान ८ (१) इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी तथा प्रत्येक अन्य व्यापारी, जो आयुक्त द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित है, निर्धारित पद्यति में नोटिस तामील करके उस तिथि तक तथा उस प्राधिकारी को अपनी कुल बिकी की विवरणी प्रस्तुत करे तथा देयकर तथा उसपर विलम्ब भुगतान के कारण लगने वाले ब्याज का भुगतान करे तथा यथा निर्धारित रूप में भुगतान करें।
 - (२) प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी तथा प्रत्येक व्यापारी लपधारा (२) के अन्तर्गत अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक में या यथा निरधार ऐसी अन्य पद्यति से इस अधिनियम के अन्तर्गत देय अपनी पूरी राशि विवरणी के अनुसार भुगतान करेगा तथा जहां पर ऐसा भुगतान सरकारी खजाने में या भारतीय रिजीव बैंक में जमा कराया गया है वह ऐसे कोषागार की या बैंक की रसीद के साथ विवरणी प्रस्तुत करे जिसमें ऐसी राशि का भुगतान दर्शाया हो ।

- (३) देशकर के अतिरिकत दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देश होगा यदि व्यापारी उपधारा १ के अन्तर्गत अपनी देशता सहित देश कर या भुगतान योग्य कर के भुगतान के प्रति विफल रहता है या उस मामले में भी, जिस मामले में व्यापारी इस अधिनिशम के अन्तर्गत निर्धारित या पुनः निर्धारित कर को चूक करने की तिथि से भुगतान के प्रति विफल रहता है या उसे चूक करने वाला मान लिया गया है।
- (४) इस अधिनियम के अन्तर्गत देय ब्याज इस अधिनिमय के अन्तर्गत देय कर मान लिया जाएगा ।

उपबंध है कि आयुक्त बकाया कर का भुगतान निर्धारित ढग से किश्तों में अदा करने की अनुमति दे सकता है ।

कर निधारण

१. (१) जहां पर वर्ष की देय सभी विवरणियां प्रस्तुत की जा चुकी है और ऐसी विवरणियों के अनुसार देयकर निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान कर दिया गया है तो आयुक्त जिस वित्तीय वर्ष से विवरणी सम्बद्ध है, उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक से एक वर्ष की अवधि के भीतर व्यापारी की उपस्थिती के बिना एक सारांश करांकन करेगा और ऐसा संक्षिप्त कर निर्धारण करते

समय उपयुक्त कर निर्धारण अधिकारी के पास गणितीय तथा देयकर का विलम्ब से होने वाले भुगतान के कारण व्याज के समयोजन का अधिकार होगा।

(२) उपधारा (१) के कुछ भी रहते हुए चाहे विवरणी या विवरणियां प्रस्तुत की गयी हो या न की गयी हो और ऐसी विवरणी /विवरणियों के अनुसार देयकर का भुगतान निर्धारित अविध के भीतर किया गया या न किया गया है तो आयुक्त यिव प्रस्तुत की गयी विवरणी से संतुष्ट नहीं है या यह सुनिश्चित करने के लिय आवश्यक या कालोचित समझते है कि व्यापारी ने अपनी कुल बिक्री कम बताई है तो व्यापारी को नोटिस तामील करके अपने कार्यालय में यथानिर्धारित तिथि को बुला सकते हैं । व्यापारी को कोई प्रमाण प्रस्तुत करवाने के लिये कह सकते हैं जिस प्रमाण पर व्यापारी की विवरणी विश्वसनीय हो सकती है और इस समबंध में आयुक्त को संतुष्ट करे :

उपवंध है कि इस उपधारा के अन्तिगत कोई भी नोटिस जिस वित्तीय वर्ष से विवरणी सम्बंध है, उस वित्तीय वर्ष के अन्त से दो वर्ष वीतने के उपरांत इयापारी को तामील किया जाएगा ।

- (३) सूचना के विर्निदण्ट तारीख को या उसके शीघ्र पश्चात आयुक्त, प्रस्तुतिकार जाने वाले साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात व्यापारी से देय कर की राशि का कर निर्धारण करेगा ।
- (४) यदि कोई व्यपारी उपधारा (२) के अधीन जारी किसी सूचना की शर्तों का अनुपालन नहीं करता तो आयुक्त उससे देय कर की राशि का अपने सर्वोतम निर्णय के अनुसार कर निर्धारण करेगा ।
 - 9) यदि सूचना पर जोकि उसके कब्जे में है आयुक्त संतुष्ट है कि कोई व्यापारी जो किसी अवधि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरदायी रहा है तथा उसने धारा ७ के अधीन स्वयं को पंजीकृत नहीं कराया है तो, आयुक्त अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार यथानिर्धारित तरीके से ऐसी अवधि तथा समस्त परवर्ती अवधियों के संबंध में व्यापारी से देय कर की राशि का निर्धारण करेगा तथा ऐसा कर निर्धारण करते समय व्यापारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देगा तथा आयुक्त यदि इस वात से सन्तुष्ट है कि गलती बिना किसी प्रयाप्त कारण से की गई थी यह निर्देश

दे सकता है कि व्यापारी अर्थदंड के रूप में इस प्रकार निर्धारित कर की राशि के साथ साथ उस राशि की दोगुनी राशि का भुगतान करेगा।

- (६) उस वर्ष जिसके संबंध में या जिसके भाग के संबंध में कर निर्धारित किया गया है, की समाप्ति से छः वर्षों की समाप्ति के पश्चात उपधारा (५) उपबन्ध के अधीन कोई कर निर्धारण नहीं किया जाएगा।
- पुनः कर निर्धारण १०: (१) जहां धारा ९ के अधीन किसी वर्ष या उसके किसी भाग के लिए व्यापारी का कर निर्धारण किए जाने के पश्चात आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यापारी की बिक्री का कुल या कोई भाग किसी अविध के लिए कर निर्धारण से बच गया है या कर निर्धारण के अधीन है या उस दर पर निर्धारित कियागया है जो निर्धारित दर से कम है तो आयुक्तः
 - (क) कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तिथि से छः वर्षों में, उस मामले में जहां व्यापारी ने ऐसी बिक्री के विवरण छिपाएं है, मिटाए है या पूरी तरह उनका उल्लेख नहीं किया है; तथा
 - (ख) कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तारीख से चार वर्षों के अंदर किसी भी अन्य मामले में ;

व्यापारी पर सूचना की तामील करेगा तथा उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा जैसा वह उचित समझे जांच करने के पश्चात अपने सर्वोत्तम निर्णय से ऐसी बिक्री के संबंध में व्यापारी से देयकर की राशि निर्धारित करने के लिए आगे भेजेगा तथा इस अधिनियम के उपबंध यथा संभव तदनुसार लागू हो सकते हैं।

- (२) निम्नित्यित केपश्चात् उपधारा (१)के अधीन कोई भी निर्धारण, पुन-निर्धारण या पुनः गणना का आदेश नहीं किया जाएगा ---
 - (क) ६ वर्षों की समाप्ति या जैसी स्थिति हो, कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तारीख से चार वर्ष जैसा कि उपधारा (१) में विर्निदष्ट है या
 - (ख) उपधारा (१) अधीन सूचना की तामील से एक वर्ष की समाप्ति जो भी बाद में हो

१९ इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यापारी

लेखे

अपने व्यापार स्थल में यथा निर्धारित विधि से खरीद और बिक्री का सही हिसाब किताब रखेगा।

अध्याय - ४

स्वोत पर कर कटौती, कर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र तथा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना :

स्त्रोत पर कर 92.) (9) इस अधिनियम के िक्सी भी अन्य उपबन्धों में किसी बात के अन्यथा कटौती होते हुए भी व्यक्तिगत तथा हिन्दु अविभाज्य परिवार केअतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति किसी वस्तु के प्रयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के लिए वेयावेय के निष्पादन के लिए किसी प्रकार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति उस लेखे में जमा करते समय या ऐसी के भुगतान के समय चाहे वह नकद हो या किसी भी अन्य रूप में हो, जो भी पहले हो, ऐसी राशि से दो प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करेगा।

उपबन्ध है कि वहां किसी प्रकार की कटौती नहीं कीजाएगी जहां वरतुओं को प्रयोग करने के अधिकार का प्रतिफल एक वर्ष में **यार** लाख से अधिक नहीं है ।

- (२) उपधारा (१) के अधीन काटा गया कोई कर सरकार के खाते में उस तरीके और उस समय में होगा जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है।
- (३) उपधारा (१) के अधीन कर की कटोती करने वाला तथा सरकारी खाते में इसे जमा करने वाला व्यक्ति यथानिर्धारित तरीके से ऐसी कटौती से १७ दिनों के अन्दर व्यापारी को कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
- (४) उपधारा (१) के अधीन कटौती किया गया कर तथा सरकारी लेखे में जमा किया गया कर उपधारा ३ के अधीन हस्तांतरण प्राप्त करने वाला द्वारा कटौती प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर समबद्ध अविध के लिए व्यापारी द्वारा प्रदत्तत कर समझा जाएगा तथा तदनुसार उसके कर निर्धारण में जमा किया जाएगा ।
- (५) यदि कोई व्यक्ति कटौती करने या कटौती की गई राशि को सरकारी

खाते में जमा नहीं कराता तो आयुक्त लिखित में सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति अर्थदंड के रूप में उस राशि से दोगूनी राशि जमा करेगा जो कटौती योग्य हो या इस धारा के अधीन जिसकीकटौती की गई हो, चाहे कर कटौती योग्य हो परन्तु उसकी कटौती न की गई हो तथा यदि कटौती की गई हो तथा सरकारी खजाने में जमा नहीं की गई हो ।

- (६) उपधारा (७) के उपबन्धों पर प्रतिकून प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति कटौती नहीं करता या कटौती के पश्चात उस राशि को जमा नहीं करता तो वह इस धारा के अधीन कटौती चौग्य राशि परन्तु कटौती नहीं की गई तथा यदि कटौती की गई है तथा उस तारीख से जमा नहीं की गई है जिससे ऐसी राशि कटौती योग्य थी उस तारीख तक जब यह वास्तविक रूप से जमा की जानी थी प्रतिमाह २ प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कर अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (७) जहां कोई राशि कटौती करने के पश्चात जमा नहीं की गई तब ऐसी
 राशि ब्याज और अर्थदंड सहित संबंधित व्यक्तियों की परिसंपत्तियों पर
 प्रभारी होगी तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
 - तत्समय प्रवत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई भी व्यक्ति वस्तुओं के प्रयोग करने के लिए अधिकार हेतू प्रतिफल एक वर्ष में भार लाख रूपये से अधिक है, किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ नियुक्त दिन के पश्चात वस्तुओं के प्रयोग करने के अधिकार के हस्तारण के लिए लेने देने का करार नहीं करेगा तथा यदि पहले ही करार कर चुका है तो ऐसे लेन देन को जारी नहीं करेगा तथा व्यापारी कोवस्तुओं के प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण के संबंध में तब तक भुगतान नहीं करेगा जबतक आयुक्त उस व्यापारी को निर्धारित तारीख से प्रमाणित नहीं करता।
 - (क) कर, ब्याज, अर्थदंड या देय अन्य कोई राशि का भुगतान करने का उत्तर दायितव नहीं हैया इस अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य समस्त कर का भुगतान दर्शाने वाले प्राप्त चालान/चालानों सहित विवरणी/विवरणियां प्रस्तुत करने में

कर बेबाकी /क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र

93. (

चूक कर्ता नहीं है ।

- (ख) इस अधिनियम के अधीन उससे देय या अन्य तरीके से भुगतान योग्य कर का भुगतान करने में गलती नहीं की है ,
- (ग) आयुक्त या किसी जैसी भी स्थिति हो के पक्ष में बैंक गारंटी प्रस्तुत करके कर का भुगतान प्राप्त करने का संतोषजनक प्रावधान किया है ।
- (घ) स्वयं को पंजीकृत करने के लिए शपथ ली है, व्यापारी इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर रहा है यदि व्यापारी नेदिल्ली में पहली बार वस्तुओं के प्रयोग के लिए हस्तांतरण प्रारंभ किया है।
- (२) जहां निर्धारित प्रपन्न में व्यापारी द्वारा कोई आवेदन किए जाने पर आयुक्त जैसा उचित समझे उचित जांच करने के पश्चात संतुष्ट है तथा निर्धारित प्रपन्न में इस आशय का प्रमाणपन्न जारी करता हैकि व्यापारी धारा ३ के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है या उसने भुगतान योग्य कर का भुगतान कर दिया है या उस धारा के अधीन देय कर का भुगतान कर दिया या स्वयं पंजीकृत करने का वचन दिया है तथा अधिनियम और नियम के उपवन्धों का अनुपालन किया है,बिक्री करार प्रारंभ किया जा सकता है और उपधारा (१) में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए भी आयुक्त के प्रमाणपन्न को उसके द्वारा प्रस्तुत करनेपर धारा ३ में उल्लिखित वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार के हस्तारण केलिए भुगतान किया जा सकता है।

हस्तांतरण प्राप्तकर्ता द्वारा वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना : 98. कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं के प्रयोग के अधिकार के हस्तांतरण के कोई संविदा का करार करता है वह संविदा पर हस्ताक्षर से पूर्व १५ दिनों के अंदर आयुक्त को सूचना प्रस्तुत करेगा ऐसा न करने पर अर्थदण्ड लगाएगा जो चूक करने के दिन हिसाब से ५००२० पाँच सौ रूपये से अधिक नहीं होगा । ऐसा उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात ही किया जाएगा ।

प्रवेश, जांच, निरीक्षण, तलाशी, सीलिंग तथा कर अपवंचन रोकथाम उपवन्ध

प्रवेश, जांच, निरीक्षण तलाशी तथा लेखो और वस्तुओं की जब्ती की शक्ति

- १५(१) आयुक्त,यथानिर्धारित शर्तों के अधीन किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति से

 (क) लेखों का हिसाब किताब रिजस्टर या दस्तावेज प्रस्तुत

 करने की अपेक्षा कर सकता है।
 - (ख) वस्तुओं के स्टाक से संबंधित सूचना प्रसतुत करने या व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की खरीद , बिक्री या वितरण से संबंधितसूचना या उसके व्यापार से संबंधित कोई भी सूचना जिसे वह आवश्यक समझे (इसअधिनियम के उददेश्यों के लिए) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।
 - (२) जहां आयुक्त के पास प्राप्त सूचना या दूसरी तरह यह विश्वास करने का कारण है कि -
 - (क) कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन बही खाते या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या करवाने में उस व्यक्ति ने चूक की है या ऐसा करने में असमर्थ है ।
 - (ख) कोई व्यक्ति जिसे उपरोक्त सूचना जारी की जा चुकीहै, कीजा सकती थी, बही खाते या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा या करवाएगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से समबन्धित या उसके लिए उपयोगी होगी, या
 - (ग) किसी व्यापारी के बही खाते, रिजस्टर या दस्तावेज , नष्ट, या विरूपत परिवर्तित , जाली,या गुप्त किए जा सकते है या उस व्यापारी द्वारा खरीद या बिक्री छिपाई जा सकती है या छिपाई गई है या किसी वस्तु का व्यापारी द्वारा अनुरक्षित वही खातो, रिजस्टरो या अन्य दस्तावेजो में इस अधिनियम के अधीन देय कर के भुगतान से बचने या बचने का प्रयास करने की दृष्टि से हिसाब किताब नहीं रखा गया है तो

आयुक्त को निम्नलिखित शक्ति होगी :-

(i) व्यपारी या किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार स्थल या कोई अन्य

रथान जहांऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हैकि वहां व्यापार किया जा रहा है या व्यापारी या व्यक्ति द्वारा लेखे रखे जा रहे है उस स्थान की जाचं करने या सर्वेक्षण करने की शक्ति होगी

- (ii) व्यापारी या व्यापारी की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में रखी गई वस्तूओं की जाचं जहां भी ऐसी वस्तुएं रखी गई है,
- (iii) किसी भी ऐसे भवन या स्थल में प्रवेश करने तथा तलासी लेने कीशक्ति होगी जहां उसके पास यह संदेह करनेका कारण हो कि ऐसे वही खाते या अन्य दस्तावेज या वस्तु किसी व्यापारी द्वारा या व्यापारी की तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गई हो,
- (iv) किसी भी परिसुर के दरवाजे के ताले तोडने या कोई अल्मारी, सेफ,सन्दूक, पात्र तोडने के शिक्त होगी जिसमें व्यापारियों की वस्तु,लेखे, रिजस्टर या दस्तावेज रखेजाने का संदेह हो, यदि ऐसे परिसर,अल्मारी,सेफ,सन्दूक या पात्र तक पहुचने के लिए मना किया गया हो,
 - (v) कार्यालय, दुकान, गोदाम, सन्दूक,लाकर, सेफ, अल्मारी, या अन्य कोईपात्र सहित परिसरों को सील करनेकी शक्ति होगी यदि उपरोक्त का मालिक या प्रभारी व्यक्ति स्थान छोडकर चला जाता है या उपलब्धनहीं होता या कहे जाने पर इसे खोलने से मना करता है इस धारा के अधीन आयुक्त या प्राधिकृत अधिकारी के कार्य निष्पादन में बाधा डालने का प्रयास करता है या करवाता है
 - (vi) व्यापारी या उसके प्रबन्धक ,एजेंट या नौकर के बयान अभिलेखवघ करने की शक्ति होगी या किसी अभिलेख से कोई सार लेने तथा लेखो, रिजस्टरो या दस्तावेजो तथा किसी दस्तोवजं, अलमारी, सेफ, सन्दूक या पात्र पर पहचान चिन्ह अंकित करने की शक्ति होगी ।

स्पष्टीकरण वस्तुओं, लेखे, रिजस्टरो या वस्तावेजो के संबंध में यह संभावना होगी जो किसी जांच या तलाशी के दौरान व्यापारी के कार्यस्थन से पाए गए है कि वे उसकेव्यापार से संबंधित है जब तक उसके द्वारा विरोध न किया गया हो ।

- (३) उपधारा (२) के खण्ड (६६) तथा (१४) के अधीन उस अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो सहायक बिक्रीकर अधिकारी से कम
- (४) जहां अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में कोई लेखे रिजस्टर या दस्तावेज कर निर्धारण प्राधिकारी या उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए है जो सहायक बिक्री कर अधिकारी से कम पद का न हो , ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी कारणों को लिखित में अभिलेखाबद्ध करते हुए छः महीनों तक उन्हें जब्त करके अपनी अभिरक्षा में रखेगा तथा व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसने ऐसे लेखों, रिजस्टर या दस्क्षेंचेज प्रस्तुत किए है उसकी पावती देगा
- (७) जहां निरीक्षण के दौरान आयुक्त के पास संदेह करने का कारण है कि व्यापारी कर बचाने या छिपाने का पयास कर रहा है या किसी भी तरह अपना कर उत्तरदायित्व छिपा रहा है तो इसके लिए लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए व्यापारी के ऐसे लेख रिजस्टर या दस्तावेज जब्त कर सकता है जैसा वह आवश्यक समझे तथा व्यापारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसे लेखे, रिजस्टर या दस्तावेज जब्त किये गये हैं उसकी रसीद देगा तथा इसे अपनी अभिरक्षा में जांच, पूछताछ, अभियोजना या अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए छः महीनोतक अपने पास रख सकता है।
- (६).उपधारा (४) के अधीन या उपधारा (५) के अधीन जब्त किये गये लेखे, रिजस्टर या दस्तावेज जब्ती की तारीख से जैसी भी स्थिति हो ऐसे आयुक्त द्वारा छः महीनों की अविध के बाद तक रखा जा सकता है तथा बाद में लिखित में आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुमित से समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट आगामी अविध तक रखा जा सकता है ।
- (७).आयुक्त या अन्य कोई अधिकारी जो उपधारा (५) के अधीन आयुक्त द्वारा प्राधिकृत सहायक बिक्री कर अधिकारी से कम रैंक का न हो, कर के लिए उत्तरदायी वस्तुओं को जब्त कर सकता है जो व्यापारी या उस व्यापारी की

तरफ से किसी अन्य व्यक्ति या किसी हस्तांतरण प्राप्तकर्ता के कब्जे में पाई जाती है तथा जिनका उसके व्यापारी के दौरानरखे गये रिजस्टर, दस्तावेजों या लेखों में हिसाब-किताब नहीं किया गया है तथा इसप्रकार जब्त की गई वस्तुओं की सूची आयुक्त द्वारा तैयार की जाएगी तथा उसकी एक प्रति व्यापारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसी वस्तुएं जब्त की गई हैं, दी जायेंगी।

- (८).जहां उपधारा (५) के अधीन लेखे, रिजस्टर या दस्तावेज या उपधारा (७) के अधीन वस्तु जब्त करना व्यवहार्थ नहीं है तो आयुक्त मालिक पर या उस व्यक्ति पर जिसके पास उसका कब्जा है या जिसके नियंत्रण में है, आदेश की तामील करेगा कि आयुक्त की पूर्व अनुमित के अतिरिक्त उसे हदाएगा नहीं, भाग नहीं करेगा न ही अन्य कार्यवाही करेगा ।
- (९).आयुक्त व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर देने तथा आगामी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे लेखे में नहीं रखी गई वस्तुओं के कब्जे के लिए चाहे वे उपधारा (७) के अधीन जब्त किये गये हो या नहीं, ऐसी वस्तुओं पर वसूली योग्य कर के साढ़े तीन गुणा राशि से अधिक अर्थवण्ड नहीं लगायेगा तथा आयुक्त लगाये गये अर्थवण्ड के भुगतान के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर जब्त की गई वस्तुओं को छोड़ सकता है।
- (७०).आयुक्त किसी भी व्यक्ति से निम्नलिखित अपेक्षा कर सकता है :
 (क)जो व्यापारी के सामान को अपनी अभिरक्षा में रखता या उसका वहन करता है, ऐसी वस्तुओं के संबंध में अपने कब्जे की सूचना देने के लिए या उसकी जांच की अनुमित देने के लिए जैसी स्थिति हो ; तथा (ख)जो व्यापारी के व्यापार से संबंधित दस्तावेज, रिजस्टर या लेखे जो उसके कब्जे में हैं का रख-रखाव करता है, जांच के लिए ऐसे लेखें रिजस्टर या दस्तावेज प्रस्तुत करना ।
- (99).यदि कोई व्यक्ति उपधारा (90) के खण्ड (ख) के अधीन गलती करता है तो आयुक्त किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती है, उस व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति पचास हजार रुपयों के अर्थदण्ड का भुगतान

- (१२).यदि आयुक्त संतुष्ट है कि जो व्यक्ति सूचना भेजने के लिए उत्तरदायी है वह अपने अभिरक्षा में सामान को भेजने या किसी व्यापारी की तरफ से कोई सूचना देने में असमर्थ रहता है या उपधारा (१०) के खण्ड (क) के अधीन निरीक्षक को अनुमित देने में असमर्थ रहता है तो आयुक्त लिखित आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देते हुए उस वस्तु, जिसके बारे में अपराध किया गया है पर इस अधिनियम के अधीन वसूलनीय कर की राशि का साढ़े तीन गुणा तक जुर्माना लगा सकता है।
- (93).यदि कोई व्यक्ति, जो किसी व्यापारी की तरफ से किसी सामान का परिवहन करता है या उसे किसी अन्य को भेजने के लिए अपनी अभिरक्षा में रखता है, यदि वह धारा (७) में उल्लिखित आयुक्त द्धारा अपेक्षित उपधारा (१०) के खण्ड (क) के अधीन सामान के विषय में सूचना देने में असमर्थ रहता है, या उसकी जांच नहीं करने देता, जैसी भी स्थिति हो, तो आयुक्त अपने कब्जे या अभिरक्षा जिसके विषय में अपराध किया गया है को कब्जे में लेने या जन्म करने के आदेश दे सकता है।
- (१४).उपधारा (१३) के अधीन जारी करवाने या जब्ती के आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक संबंधित व्यक्ति उपधारा (१०) के खण्ड (क) के अधीन अपेक्षित सूचना नहीं भेजता है या उक्त उपधारा के अधीन सामान के निरीक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करता है ।
- (१५) यदि कोई व्यक्ति जो किसी सामान को परिवहन करता है या किसी को भेजने के लिए अपने पास रखता है तो वह आयुक्त द्वारा उपधारा (५०) के खण्ड (क) के अधीन आयुक्त द्वारा सूचना मांगने पर अपने पास उपलब्ध सामान की सूचना देने या उसका निरीक्षण करने की अनुमित देने, जैसी भी स्थिति हो, में असमर्थ रहता है, तो उक्त व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना यह मान लिया जायेगा कि जिस वस्तु के बारे में उसने सूचना नहीं दी है या निरीक्षण की अनुमित नहीं दी है वह वस्तु उसके द्वारा बिक़ी के लिए रखी गई थी तथा व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के लिए उत्तरदायी है और तदानुसार भी अधिनियम के उपबन्ध उस पर लागू होते हैं।

- (१६) जहां कोई परिसर जिसमें कार्यानय, दुकान, गोदाम, बक्सा, लॉकर, अनमारी, या सामान रखने की अन्य जगह को उपधारा (२) के अधीन सीन कर दिया गया है तो आयुक्त उक्त स्थान के कब्जा रखने वाने व्यक्ति या मालिक द्वारा प्रार्थना पन्न देने पर एक जमानत पन्न यथा निर्धारित रूप में तथा संबंधित फार्म और अपेक्षित राशि के साथ नागू होने वानी शर्तों पर सीन खोनने के आदेश दे सकता है।
- (१७०).जहां इस धारा के अधीन सामान को कब्जाने या जब्ती के आदेश दिये गये हैं तथा इसके आदेश होने की तिथि के तीन मास की अवधि के अन्दर सामान के बारे में किसी व्यक्ति द्धारा कोई दावा नहीं किया जाता तो आयुक्त लिखित आदेश द्धारा सामान की नीलामी के आदेश दे सकता है । उपवंध है कि सामान जिसके बारे में कब्जाने या जब्ती के आदेश किये गये हैं दूटने की प्रकृति या अतिशीघ तथा प्राकृतिक रूप से खराब होने वाला है या जब सामान को रखने का खर्च इसके मूल्य से अधिक आने की संभावना है तो आयुक्त द्धारा जैसा भी यथाशीघ व्यवहारिक है सामान को कब्जाने या जब्ती के आदेश के बाद नीलामी के आदेश दिये जा सकते हैं तथा नीलामी से प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में तत्काल जमा करवाया जायेगा ।
- (१८) जहां उपधारा (९) या उपधारा (१२) के अधीन जुर्माना लगाने के आदेश दिये जाते हैं तथा निर्धारित अवधि में संबंधित व्यक्ति जुर्माना देने में असमर्थ रहता है तो जब्त सामान को सार्वजनिक नीलामी से बेचा जा सकता है तथा इससे प्राप्त बिक्री की राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाया जायेगा ।
- (१९).उपधारा (१७) या (१८) के अधीन सामान की नीलामी दिल्ली बिक्री कर अधिनियम की उपधारा (६४) की धारा (६) के अधीन सामान की बिक्री के लिए निर्धारित रूप में की जायेगी ।
- (२०) इस धारा के उपबन्धों के अधीन नीलाम किये गये सामान की बिक्री की राशि प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति आयुक्त को प्रार्थना पत्र देगा तथा पर्याप्त सबूत देने पर उसे नीलामी से प्राप्त राशि बिक्री खर्च, अन्य आनुसंगिक प्रभार, कर की राशि तथा अधिनियम के अधीन वसूलनीय जुर्माने की राशि काट कर सौंप दी जायेगी।
- (२१).इस अधिनियम के अधीन अपनी ड्यूटी को सद्भावना से करने पर किसी

छूट देने की क्षमता

कोल्ड स्टोरेज, भण्डारों, १७ गोदामों के मालिक आदि द्वारा सूचनायें भिजवाना व्यक्ति द्वारा आयुक्त या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के खिलाफ नुकासान की भरपाई का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा ।

- (२२) इस धारा में कुछ भी रहते हुए इस धारा के अधीन ली गई तलाशी या जब्ती की कार्यवाही जहां तक सम्भव है दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २) में तलाशी या जब्ती की प्रक्रिया के अनुसार की जायंगी । सरकार को किसी वस्तु को वस्तु के उपयोग के अधिकार पर दिल्ली बिक्री कर सं सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा छूट देने का अधिकार होगा ।
- (9) इस समय प्रवृत किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी रखते हुए कोल्ड स्टोर, भण्डार, गोदाम या अन्य स्थान का मालिक या कोई भी व्यक्ति जिसका नियंत्रण हो, जो किराये के लिए या पारिश्रमिक लेने के लिए सामान का भंडारण करता है या करवाता है । उक्त स्थान पर भंडार किये गये सामान की मात्रा,कीमत, प्राप्ति की तिथि तथा भिजवाने की तिथि सहित सभी विवरण देते हुए सही एवं पूर्ण लेखा तैयार करेगा या करवायेगा ।
 - (२) यह लेखा मांगने पर, आयुक्त या इस आशय के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उक्त लेखा के उद्धरण स्वयं लेगा या लेने के आदेश देगा या इन उद्धरणों को यदि उचित समझता है, भेजने के लिए आदेश दे सकता है।
- (३) यदि मालिक या कोई जिसका नियंत्रण हो, जो सामान का भंडारण करता है या पारिश्रमिक के लिए करवाता है, किसी ऐसे रूप में उपधारा (१) या उपधारा (२) के उपबंधों का उल्लघंन करता है जिससे अधिनियम के अधीन देय कर की चोरी की जा सके तो आयुक्त इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अन्तर्गत उक्त ऐसे मालिक या व्यक्ति के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डाले बिना उक्त कोल्ड स्टोर, भंडार गृह, गोदाम या अन्य ऐसे स्थान के मालिक, व्यक्ति जिसका नियत्रण हो, को सुनवाई का अवसर देते हुए उपधारा (१) या उपधारा (२) के अन्तर्गत जिस वस्तु के विषय में अपराध किया गया है उस पर वसूलनीय कर का साढ़े तीन गुणा अर्थदंड या जुमनि के रूप में देने के आदेश दे सकता है । अध्याय-७

अपराध एवं अर्थदंड

- १८ (१) जहां कोई व्यक्ति-
 - (क) जो अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक है स्वयं को पंजीकृत नहीं करवाता, या

अपराध

(ख)विवरण भरने के लिए उत्तरवायी है परन्तु विवरण प्रस्तुत नहीं करता या

व्याज सहित विवरण में आने वाले देय कर का निर्धारित अविध में

भुगतान नहीं करता यदि अपने व्यापार के बारे में जानबूझकर असत्य
लेखे, रिजस्टर या दस्तावेज तैयार करता है या असत्य विवरण भेजता
है या इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमावली के अधीन
प्रस्तुत की जाने वाली किसी घोषणा में कोई असत्य घोषणा करताहै,या

(ग).जानबूझकर किसी रूप में कर दायित्व से बचता है, अपनी बिक्री को छुपाता है, या

(घ).जानबूझकर मांग नोटिस की अवमानना करता है या मांग नोटिस के अनुसार राशि का भुगतान नहीं करता तथा उसके द्धारा मांग नोटिस प्राप्त किये जाने के बाद छः महीने की अवधि व्यतीत हो जाती है, या

(इ).अधिनियम के अधीन आयुक्त या इस संबंध में उसकी ओर से प्राधिकृत कोई व्यक्ति को किसी ऐसे व्यापार स्थान में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या तलाशी लेने से मना करता है या रोकता है जहां सामान या लेखा पुस्तकें, रजिस्टर तथा दस्तावेज रखे होने की संभावना है या सामान या लेखा पुस्तकें या रजिस्टर तथा दस्तावेज को जब्त करने से मना करता है, या रोकता है, या

(च).इस अधिनियम की धारा (१२) के अधीन यथोपेक्षित रूप में लेखा तैयार करने में असमर्थ रहता है, या

(छ). उक्त अधिनियम की धारा (१३) के अधीन उससे कर बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किसी व्यक्ति के साथ नेन-देन करता है ।

(ज)उक्त अधिनियम की धारा ११ के अधीन यथा अपेक्षित तरीके से लेखे का रख-रखाव करने में असमर्थ रहता है ।

(झ)उपरोक्त अपराध को करने में किसी व्यक्ति की सहायता करता है या उकसाता है ।

तो उसे छः महीने तक की साधारण कैद या बीस हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं ।

स्पष्टीकरण :-उपधारा के अधीन खंड (घ) के अधीन किये गये अपराध कर का पूर्ण भुगतान होने तक निरंतर अपराध माना जायेगा ।

- (२).जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी व्यापार के संबंध में किया जाता है तो अपराध के घटित होने के समय व्यापार के संचालन के लिए उत्तरदायी या अपने कार्य या गलती से किसी रूप में कानूनी अपेक्षाओं को पूरा न करने के लिए जवाबदेह प्रत्येक व्यक्ति पर इस धारा के अन्तर्गत मुकदमा चला कर दण्ड दिया जा सकता है।
- (३). उपधारा (२) मं दिये गये उपबन्धों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी फर्म या कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा यह पाया जाता है कि अपराधी फर्म के भागीदार या अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कम्पनी के निदेशक की सहमति या मिलीभगत या उसकी लापरवाही से किया गया है तो है ह भागीदार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या निदेशक इस धारा के अधीन व्यक्तिगत रूप से अपने विरुद्ध मुकदमा तथा सजा का भागीदार होगा।
- (४).इस अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा जिसमें कर निर्धारण, पुनः कर ें →निर्धारण, शुद्धिकरण या जुर्माना लगाने की कार्यवाही को छोड़कर अन्य वसूली का मुकदमा, इस अधिनियम के अधीन अन्य मुकदमों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, जारी रहेगा ।
- (७).यदि कोई व्यापारी किसी उचित कारण के बिना इस अधिनियम या उपबन्धों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो उस पर उल्लंघन किये जाने या उचित कार्यवाही न करने पर अर्थदंड लगाया जा सकता है जो पांच हजार रुपये या वस्तुओं के मूल्य का १५ प्रतिशत से अधिक, इनमें जो भी कम हो, किया जायेगा । जहां यह उल्लंघन या असफलता जारी रहती है तो यह जुर्माना उल्लंघन या असफलता जारी रहने के प्रतिदिन के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकता है

बशर्ते की जुर्माना लगाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है ।

(६) वण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २) में, उपरोक्त के विपरीत कुछ भी रहते हुए उपधारा (१) में परिभाषित समस्त अपराध संहोय तथा जमानती होंगे । (७).आयुक्त की पूर्व अनुमित के बिना इस अधिनियम या नियमावनी के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा तथा मैट्रोपोलिटन मिनस्ट्रेट से कम किसी न्यायालय में अपराध पर मुकदमा नहीं चलेगा।

अपराधों की जांच

- 9.5.(9). यथानिर्धारित शर्तों के रहते हुए आयुक्त सामान्यतः या किसी विशेष मामलें में या किसी वर्ग के मामलों में सहायक बिक्री कर अधिकारी या अधिक स्तर के अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय सभी या किसी अपराध की जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
 - (२).इस जांच को करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २) द्वारा किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी को संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए प्राप्त अधिकार दिये जायेंगे ।

अध्याय -७

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण, पुनःनिर्धारण का

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के उपबंधों का लागू होना २० इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाई नियमावली के अधीन रहते हुए दिल्ली विक्री कर अधिनियम के अधीन इस समय कर निर्धारण, पुनःनिर्धारण, संग्रहण, ब्याज तथा जुर्माने के भुगतान को लागू करने संबंधी शक्तियां रखने वाले अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत उसी प्रकार कर निर्धारण, पुनःनिर्धारण, संग्रहण तथा भूगतान का प्रवर्तन जिसमें व्यापारी द्वारा कोई ब्याज या अर्थदंड शामिल है कर सकता है जैसे कि दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अधीन देय है । इस उद्देश्य के लिए दिल्ली बिक्री कर अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन किसी या सभी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के उपबंध तथा नियमावली जो विवरण, कर निर्धारण, नोटिस, शुद्धिकरण, संग्रहण, पंजीकरण किसी हिन्दू संयुक्त परिवार की परिवार के विभाजन या फर्म के भंग होने पर कर भुगतान के दायित्व, कर वसूली की विशेष पद्धति, अपील, संशोधन, संदर्भ, धन वापसी, जुर्माना, अर्थदंड, ब्याज प्रभारित करना या भुगतान तथा व्यापारी द्वारा गोपनीय रूप से भेजे गए दस्तावेजों को संभालना, बिक्री छुपाने के लिए पुनः कर निर्धारण, कर की वसूली, लेखों का रखरखाव, निरीक्षण, तलाशी तथा जब्दी, प्रतिनिधि रूप में दायित्व, उच्च न्यायालय में मामले का विवरण अपराधों का शमन तथा विविध प्रकार के अन्य मामलों पर तंद् रूप में ही लागू होंगे ।

व्याख्या. - दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के सभी उपबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों के विरोध में न हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही पर यथावत रूप में लागू होंगे ।

अध्याय - ८

विविध एवं नियमावली

इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाए २१.इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा ।

दीवानी अदालतों में वादों पर प्रतिबंध २३कोई वाद इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत पारित किसी करांकन आदेश या कोई अन्य आदेश रह करने या आशोधन करने के लिए किसी दीवानी अदालत में नहीं लाया जाएगा और कोई अभियोग, वाद या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत सद्भावना से कुछ किया गया या किए जाने वाला, सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

आयुक्त की शक्तियों का प्रत्यायोजन २३ यथानिर्धारित निर्बंधों और शर्तों के अनुसार आयुक्त लिखित में आदेश द्वारा धारा १७ की उपधारा (७) के अधीन को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को जो सहायक बिक्रीकर अधिकारी से कम पद का न हो, अपनी शक्तियों, कार्यों और कर्त्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

नियम बनाने की २४.(१) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार सरकारी राजपत्र में अ।कित

अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी

उपवंध है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विद्यमान परिस्थितियां जो कि तुरन्त कार्यवाही चाहती है तो इस धारा के अन्तर्गत वनाए गए किसी नियम के पूर्व प्रकाशन को अलग कर सकती है ।

- (२). विशेषतः पूर्वोक्त शक्ति पर सामान्यः प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम
 - (क) इस अधिनियम द्धारा विनिर्धारित करने के लिए तुरन्त अपेक्षित या अनुमत सभी भामले ;
 - (ख) स्टॉकिस्ट के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया;
 - (ग) रिटर्न को जमा करने और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने तथा व्यक्ति की मौजूदगी को प्रवर्तन करने तथा उसकी शपथ की जांच करने को बाध्य करना ;
 - (घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा कार्यवाही में अपनाए जाने वाले मानकों का विनियमन करना ;
 - (इ).कोई अन्य मामला जिसमें शुक्क की उगाही शामिल है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है या इस अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान न हो तथा जिसके लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के मत में प्रावधान आवश्यक हो ।
- (३) . किन्हीं नियमों को बनाने में सरकार निदेश दे सकती है कि इसके भंग होने पर आयुक्त विनिर्धारित तरीके से अर्थदंड लगा सकती है जो कि पच्चीस हजार रुपये से अधिक न हो, तथा जब इस तरह का भंग जारी रहता है तो ऐसे भंग जारी रहने के दौरान चूक के प्रत्येक दिन के लिए अर्थदंड (पैनल्टी) लगाया जा सकता है जो कि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (४). इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के बाद इसे यथाशीघ्र दिल्ली दिधानसभा के समक्ष कुल तीस दिन के सत्र काल में रखा जाएगा । उक्त अविध एक सत्र की है या दो सत्रों की हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों को मिलाकर हो और यदि आगामी सत्र या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से तुरन्त पहले सत्र समाप्त होने से पहले सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए

तो, इसके बाद नियम केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापित ऐसा संशोधन या निष्प्रभावन उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए की वैद्यता पर प्रतिकूल प्रभाव से रिहत होगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति २५: (१) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सरकारी राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए उपबंधों के असंगत न हो, कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से जो आवश्यक समझे कर सकती है।

उपबंध है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा ।

(२).इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरन्त पश्चात् दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा

> å बार०के० प्रभाकर है. उप सच्चिक्विध, न्याय एवं विधायी कार्यंहे•